झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध) 10/2023 – 913

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 8.11.2023

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–28 में अधिनियम के तहत् संचालित योजनाओं का समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा–28(1) के अनुसार–

"प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी यो निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय, उचित दर–दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।"

उल्लेखनीय है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस प्रकार के सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना आयोग को प्राप्त होती रही है, किन्तु महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने के संबंध में कोई सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा यदि उपरोक्त से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराई जा रही हो तो इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कारवाई करते हुए आयोग को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

8/11/23

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261